

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

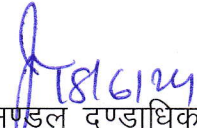
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — संगीता देवी

बनाम

वाद सं0 82 / 2023

द्वितीय पक्ष — सुधीर गोप बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 30/2023 दिनांक 29/10/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) संगीता देवी उम्र 45 वर्ष पति प्रदीप कुमार यादव उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 सोमरा गोप उर्फ ग्वाला दोनो मौजा बनटोली थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) सुधीर गोप उम्र 54 वर्ष पिता स्व0 सोमरा गोप उर्फ ग्वाला ग्राम गोजा बनटोली थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा मौजा पालकोट के खाता सं0 672 प्लॉट सं0 1706 रकबा 0.06 एकड़ भूमि को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	